Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the 108-Jayal (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Dr. MANJU BAGHMAR

217 BASSI MEGHWAL MAUHALLA , SONELI, TEH.- DEH, (TEH. JAYAL), DISTRICT- NAGAUR (RAJ.) 341022

sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Shri B.R. Mirdha Govt. College Nagaur

Dated - 03-12-2023

(Omprakash Verma)

Returning Officer

108- Jayal (SC)

Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate Jayal

रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र जायल 108

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

108- जायल (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

डॉ. मंजू बाघमार

217 बस्सी मेघवाल मौहल्ला, सोनेली, तह.-डेह(तह.जायल), जिला- नागौर(राज.) 341022 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं। स्थान - श्री बी.आर.मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर

दिनांक - 03.12.2023

(अर्मप्रकाश वर्मा) रिटर्निंग ऑफिसर

108- जायल (अ.जा.)

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट

जायल रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र जायल 108